न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 52/2019

–: अनवान :–

1. रामचन्द्र पुत्र आत्माराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान(दिनांक 30.12.2019 को प्रा.पत्र विड्रा)
2. मंगतराम पुत्र आत्माराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

..... **प्रार्थीगण**

बनाम

1. आत्माराम पुत्र गुरदित्ताराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. मदनलाल पुत्र आत्माराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. श्रीमती मायाबाई पत्नी लालचन्द पुत्री आत्माराम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. श्रीमती भगवानो बाई पत्नी अशोककुमार पुत्री आत्माराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. श्रीमती मनदीप पत्नी जगसीर सिंह पुत्री आत्माराम जाति कम्बोज निवासी 11 पी. पतरोडा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
6. आशारानी पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्री आत्माराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. सरोज पत्नी राजेन्द्रकुमार पुत्री आत्माराम जाति कम्बोज निवासी कोयलखेड़ा तहसील अबोहर पंजाब।
8. लक्ष्मी पुत्री आत्माराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।
10. उप–पंजीयक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।

.........**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 2
2. श्री अमित सैनी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 5 व 7
3. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4, 6, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
4. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः–26.0?.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी न. 1 प्रार्थीगण का पिता है तथा अप्रार्थीगण न. 2 ता 8 बहन भाई है। अप्रार्थी न. 1 के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 1 बी.एन.पी.एम. के पत्थर नम्बर 100/325 मु.न. 24 के किला नम्बर 1/2/0.228, 2 ता 9/2.0[illegible]0.228, 12 ता 19/

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकरण संख्याः– 52/2019)

2.024, 20/2/0.228, 21/2/0.228, 22/0.253 में कुल 5.4410 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसमें से अप्रार्थी न. 1 ने पत्थर नम्बर 100/325 मु.न. 24 के किला नम्बर 16 ता 19/1.012, 20/2/0.228 में 1.240 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि का बेचान जगसीरसिंह पुत्र बिहारीराम जाति कम्बोज निवासी पतरोड़ा तहसील अनुपगढ़ को कर दिया गया जिसका इन्तकाल संख्या 271 दिनांक 30.05.2018 को दर्ज हो चुका हैं तथा जमाबन्दी में अंकन हो चुका हैं। इस प्रकार अप्रार्थी न. 1 के नाम से उक्त भूमि में से चक 1 बी.एन.पी.एम. के पत्थर नम्बर 100/325 मु.न. 24 के किला नम्बर 1/2/0.228, 2 ता 9/2.024, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12 ता 15/1.012, 21/2/0.228, 22/0.253 में कुल 4.201 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि शेष दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी न. 1 को भूमिहीन श्रेणी में परिवार का मुखिया होने के नाते पूरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए आवंटित हुई थी। उक्त जैरप्रकरण भूमि पूरे परिवार को इकाई मानते हुए सभी के जीवनयापन के लिए आवंटित की गई थी। भूमिहीन श्रेणी में आंवटन होने से उक्त भूमि पैतृक सम्पति की परिभाषा मे आती है। उक्त भूमि की रकम मालकाना आदि भी प्रार्थीगण सहित पूरे परिवार ने मिलकर खजाना राज मे जमा करवाया है तथा करवाते आ रहे है। पूरे परिवार के जीवनयापन का सहारा एकमात्र यही कृषि भूमि है व जैरवाद भूमि को बंजड़ से उपजाऊ बनाने में प्रार्थीगण द्वारा कड़ा परिश्रम किया हैं। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 की माता तथा अप्रार्थी न. 1 की पत्नी रामप्यारी का स्वर्गवास हो चुका हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वंशवृक्ष अनुसार उक्त वर्णित जैरप्रकरण भूमि में अप्रार्थी न. 1 सहित कुल 10 हिस्सेदार होने से प्रत्येक 1/10 हिस्सा भूमि पाने का हकदार हैं। इसलिए प्रार्थीगण का 2/10 हिस्सा यानि 1.088 हैक्टेयर भूमि का हकदार हैं व इतनी ही भूमि काश्त कर रहे है। अप्रार्थी न. 1 जैरप्रकरण भूमि में मात्र 1/10 हिस्सा यानि 0.544 हैक्टेयर भूमि का हकदार था परन्तु उसने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पूर्व में बेचान कर दी है तथा बाकी बची भूमि भी बेचान करने पर प्रयासरत है। प्रार्थीगण का पिता अप्रार्थी न. 1 बिना कारण ही प्रार्थीगण से नाराज रहता हैं व अब अप्रार्थी न. 1 बाकी बची हुई जैरप्रकरण भूमि को बिना किसी आवश्यकता के बेचान करने पर तुला हुआ है तथा बार बार धमकी दे रहा है कि जैरप्रकरण भूमि पर भारी लोन उठा लुगां। अप्रार्थी न. 1 जैरवाद भूमि मात्र अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने का फायदा उठाकर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। प्रार्थीगण ने जैरप्रकरण भूमि मे अपने 1/10 हिस्सा की भूमि को भारी खर्चा लगाकर, कड़ी मेहनत करके सुधारा काबिल काश्त किया है। प्रार्थीगण के परिवार के जीवनयापन का एकमात्र ही यही सहारा है। प्रार्थीगण के पिता के नाम की भूमि में से हिस्सा मानते हुए प्रार्थीगण को अन्य रकबा आवंटन नहीं हुआ। जैरप्रकरण भूमि को अप्रार्थी न. 1 बिना किसी वैध आवश्यकता के बेचान करने पर तुला हुआ है तथा साथ ही यह धमकी दे रहा है कि वह इस भूमि पर भारी लोन उठा लेगा और अन्यत्र भूमि अपने दूसरे पुत्र के नाम से खरीद कर देगा। जैरप्रकरण भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी मे आती है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में आंवटित भूमि में पूरे परिवार का हक व हिस्सा माना हैं जो वरवक्त बहस प्रस्तुत कर दिये जावेगे तथा इस भूमि पर प्रार्थीगण अपने पिता अप्रार्थी न. 1 के जीवनकाल मे ही अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी न. 1 से सम्पर्क कर जैरप्रकरण भूमि मे अपने हिस्सा की मांग की तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। इस पर पंचायत भी दिनांक 25.05.2019 को बुलाई जिसमें अप्रार्थी न. 1 ने भरी पंचायत मे जमीन मे से हिस्सा देने से मना कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested

तथा भरी पंचायत के सामने धमकी दी कि जैरप्रकरण भूमि उसके नाम से दर्ज है, इसलिए वो सारी भूमि का बेचान कर देगा। प्रार्थीगण को जैरप्रकरण भूमि मे हिस्सा नही देगा। वाद पत्र निर्णय होने में अभी समय लगेगा व अप्रार्थी न. 1 अपने नाम की सारी भूमि बेचने पर आमादा हैं, अगर अप्रार्थी वाद पत्र के निर्णय से पूर्व ही अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वाद पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी अत्यन्त ही आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण प्रस्तुत करके निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मूलवाद पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण भूमि वाके चक 1 बी.एन.पी.एम. के पत्थर नम्बर 100/325 मु.न. 24 के किला नम्बर 1/2/0.228, 2 ता 9/2.024, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12 ता 15/1.012, 21/2/0.228, 22/ 0.253 में कुल 4.201 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि को रहन बैय आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं किया जावे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 6, 8 बावजूद तामील हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी न. 3, 5 व 7 ने अपना इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दौराने प्रकरण जैरकार रहने के दिनांक 30.12.2019 को प्रार्थी संख्या 1 ने अपना दावा विड्रा कर लिया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरप्रकरण रकबा पैतृक रकबा है, प्रार्थी का घोषणात्मक वाद पत्र जैरकार हैं। दावा के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। जमाबन्दी अनुसार जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी न. 1 के नाम से दर्ज है तथा अप्रार्थी न. 1 को दिनांक 26.09.1972 को भूमिहीन श्रेणी में आंवटन हैं। प्रार्थी का कहना हैं कि भूमिहीन श्रेणी में उक्त भूमि पूरे परिवार को ईकाई मानते हुए परिवार का मुखिया होने के नाते अप्रार्थी न. 1 को आंवटन हुई थी। इसलिए जैरप्रकरण भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी में हैं। जैरप्रकरण सम्पति पैतृक हैं या नहीं, प्रार्थी को कोई अनुतोष दावा से मिलेगा अथवा नही, यह सब तथ्य दावा मे ही तनकी कायम होने के बाद व साक्ष्य आने के बाद ही तय हो पायेगे। परन्तु वाद पत्र के निर्णय से पूर्व ही अप्रार्थी न. 1 भूमि बेचान कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ सकता हैं। इस स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखने न्यायोचित प्रतीत होता हैं। वाद पत्र के निर्णय तक प्रार्थी संख्या 2 का हित सुरक्षित रखा जाना उचित प्रतीत होंता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि तहसील सूरतगढ़ के चक 1 बी. एन.पी.एम. के पत्थर नम्बर 100/325 मु.न. 24 के किला नम्बर 1/2/0.228, 2 ता 9/2.024, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12 ता 15/1.012, 21/2/0.228, 22/0. 253 में कुल 4.201 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि में प्रार्थी संख्या 2 के हिस्सा तक की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 रहन बेचान आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं करे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।